न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 117/2016 दायरा दिनांक : 09.03.2016

उनवान

रामेश्वर पुत्र केशरीलाल, जाति मीणा, निवासी भोल्याखेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

बूचीलाल पुत्र धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी भोल्याखेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी.एल.जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 7/2014 निर्णय दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम भोज्याखेड़ी तहसील अन्ता की खसरा नम्बर 211 रकबा 0.02 हेक्टर आराजी पर अपीलांट का कच्चा व पक्का मकान बना हुआ है एवं इस पर अपीलांट पिछले 40 वर्षों से काबिज है । उपरोक्त भूमि आबादी के

पास में है । उपरोक्त भूमि के बाबत तहसीलदार मांगरोल के यहां रेस्पोडेंट के पिता केसरी लाल द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक 08.12.1994 को हुआ जिसके अन्दर अपीलांट का कब्जा मानते हुए धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप की गई । तभी से विवादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । केसरीलाल की मृत्यु के पश्चात इंतकाल नम्बर 526 दिनांक 20.03.2014 से विवादित भूमि पर अपीलांट रामेश्वर का नाम दर्ज हुआ । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया उसमें अपीलांट की खसरा नम्बर 211 पर कोई पक्का निर्माण इत्यादि करने हेतु पाबन्द किया गया जबकि उपरोक्त विवादित आराजी पर पारित निर्णय दिनांक 15.02.2016 से पूर्व ही पक्का निर्माण हो रहा है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुकूल नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनायी गयी और न ही उपरोक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार की कोई पैमाईश करवायी गयी । रेस्पोडेंट ने मात्र खातेदार होने के कारण उपरोक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय में जारी करवा लिया, जो विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज होने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को पुनः रिमाण्ड किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिसमें सलंग्न दस्तावेज तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि दोनों व्यक्ति मीणा जाति के होने से प्रकरण राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है । अतः प्रार्थना पत्र ड्रोप करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर कर दिया गया । नकल जमाबंदी सम्वत 1962–72 के अनुसार केसरा पुत्र बिशना जाति मीणा खसरा नम्बर 210 रकबा 0.03 हेक्टर के खातेदार काश्तकार है एवं 2014 में केसरा की मृत्यु के पश्चात रामेश्वर आदि खातेदार काश्तकार दर्ज है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 211 रकबा 0.02 हेक्टर के खातेदार बूचीलाल पुत्र धन्ना लाल है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो निर्णय पारित किया गया है वह केवल दावे और जवाबदावे में जो कथन किया गया है उसके आधार पर पारित किया गया है । किसी प्रकार की कोई साक्ष्य इत्यादि पत्रावली पर नहीं ली गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या अपीलांट का रेस्पोडेंट की आराजी पर कब्जा इत्यादि किया हुआ है । केवल मात्र दावे के जवाबदावे के आधार पर अपीलांट को खसरा नम्बर 211 पर कब्जा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे अपीलांट का कब्जा साबित होता हो और न ही पत्रावली पर कोई पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट इत्यादि सलंग्न नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिना साक्ष्य इत्यादि के पारित किया गया है, इसलिए अपास्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 15.02.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी का दोनों पक्षों की उपस्थिति में पैमाईश करवाये एवं तहसीलदार के मार्फत विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करके पुनः गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निर्णय पारित करें । तब तक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दोनों को उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाता है एवं उभयपक्षकारान का पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा